राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग

क्रमांक–कोविड 19 / Spl./Ind./2020 दिनांक 08-04-2020

1. प्रबन्ध निदेशक, रीको
उद्योग भवन, जयपुर।

2. आयुक्त, उद्योग विभाग,
उद्योग भवन, जयपुर।

विषयः– लॉकडाउन में छूट प्राप्त इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों / कार्मिकों के आवागमन हेतु पास जारी करने के संबंध में।

गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ.33(2)गृह / ग्रुप–9 / 2019 दिनांक 26.03.2020, 07.04.2020 एवं उद्योग विभाग के आदेश दिनांक 30.03.2020 एवं निर्देश दिनांक 31.03.2020 के संबंध में लॉकडाउन में छूट प्राप्त इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों / कार्मिकों को आवागमन हेतु पास जारी करने के संबंध में वर्तमान में गृह विभाग के आदेश दिनांक 26.03.2020 की निम्न व्यवस्था प्रभावी हैः–

"Pass for travel of staff/labour of the above category may also be issued by the Sr. Regional Manager/R.M. RIICO/G.M. D.I.C. subject to overall monitoring by the Incident Commander."

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

"लॉकडाउन में छूट प्राप्त एवं संचालित इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों / कार्मिकों के आवागमन हेतु पास औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिए संबंधित इकाई प्रभारी, रीको तथा अन्य क्षेत्रों के लिए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किये जायेंगे।"

गृह विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2020 के अनुसार जिन छूट प्राप्त इकाईयों में मालिक / श्रमिक / कार्मिक कार्यस्थल पर ही रहकर कार्य कर रहे हैं, उनमे पृथक से पास जारी करने की आवश्यकता नही है।

यदि किसी जिले में अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर द्वारा आदेश जारी कर उस जिले के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र / रीको के इकाई प्रमुख या संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक को किसी भी प्रयोजन हेतु पास जारी करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेशों में अंकित प्रयोजनों हेतु भी पास जारी किये जायेंगे।

8/04/2020
(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग
एवं एमएसएमई

Scanned by CamScanner

क्रमांक–कोविड 19 / Spl./Ind./2020 दिनांक 08-04-2020

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण / राज्यमंत्री गण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. निजी सचिव, महानिदेशक, पुलिस राजस्थान।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
10. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
11. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको क्षेत्रीय इकाई, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग एवं
विशिष्ट शासन सचिव, सीएसआर

Scanned by CamScanner